



दूरभाष : ०७६६२-२५७१०६  
Tele : 07662-257109  
फैक्स/Fax : 07662-254803  
E-mail : info.ssrewa@gmail.com



## WEBSITE UPLODATION

सैनिक स्कूल रीवा  
Sainik School Rewa  
मध्य प्रदेश-४८६००१  
Madhya Pradesh-486001

एसएसआर/१२२५/पीसी/प्रशिक्षण  
SSR/1225/PC/Trg

जनवरी २०२२

31 Jan 2022

समस्त अभिभावक  
(कक्षा-10वीं एवं 12वीं)

### अभिभावक पत्रक विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में

प्रिय अभिभावक/संरक्षक,

1. निम्नलिखित पत्रों के सन्दर्भ में :-

- (क) विद्यालय के पत्र क्रमांक एसएसआर/1225/पीसी/प्रशिक्षण दिनांक 21 अक्टूबर 2021.
- (ख) अभिभावक शिक्षक बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2021.
- (ग) मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग के पत्र क्रमांक एफ 35-09/2020/दो/सी-2 भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2022.
- (घ) विद्यालय के पत्र क्रमांक एसएसआर/1225/पीसी/प्रशिक्षण दिनांक 14 जनवरी 2021.
- (ङ) स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 44-4/2020/20-2 दिनांक 31 जनवरी 2022 (छायाप्रति संलग्न)।
- (च) बकाया शुल्क सूची दिनांक 31 जनवरी 2022.

2. स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशानुसार कक्षा-10वीं एवं 12वीं के छात्रों के लिए भौतिक रूप से कक्षाएं प्रारम्भ किए जाने का निर्णय लिया गया है। अन्य शेष कक्षाएं केवल ऑनलाईन माध्यम से निर्धारित समय-सारणी के अनुसार संचालित होती रहेंगी और साथ ही कक्षा-10वीं एवं 12वीं की भी कक्षाएं भौतिक तथा ऑनलाईन दोनों माध्यमों से संचालित की जाएंगी।

3. कक्षा-10वीं एवं 12वीं के छात्र दिनांक 07 फरवरी 2022 को भौतिक रूप से उपस्थित होते समय निम्न बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित करेंगे :-

- (क) छात्र जिनकी उम्र 15 वर्ष से अधिक हैं, वे अपने साथ कोविड वैक्सीन के टीकाकरण का प्रमाण पत्र साथ में लेकर आवें।
- (ख) छात्र जिनकी उम्र 15 वर्ष से कम हैं, वे अपने साथ RTPCR (72 घण्टे के अन्दर जांच की गई) की निगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आवें।
- (ग) छात्र वेबसाइट पर उपलब्ध बकाया शुल्क की जानकारी के अनुसार अपनी शुल्क जमा करके डिपोजिट रसीद साथ में लेकर आवें।

क्रमशः ..2..

(घ) दिनांक 10 से 14 फरवरी 2022 से वार्षिक कैम्प (कक्षा-12 एनसीसी बी-सर्टीफिकेट हेतु) एवं दिनांक 28 फरवरी 2022 को एनसीसी ए-सर्टीफिकेट की परीक्षाओं का संचालन किया जाएगा। जिन छात्रों को पूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिए विद्यालय से निलम्बित किया गया है, वे छात्र अपनी स्वयं की व्यवस्था से विद्यालय परिसर के बाहर रहकर उक्त परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही जिन छात्रों को विद्यालय खुलने तक निलम्बित किया गया था, उनकी उपस्थिति अपने अभिभावकों के साथ अनिवार्य है। अभिभावकों के बिना आने वाले निलम्बित छात्रों को विद्यालय में उपस्थित नहीं कराया जाएगा।

**राजेश**  
(राजेश बैन्दा)  
कर्नल  
प्राचार्य

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :-

1. निरीक्षण अधिकारी (एस)  
सैनिक स्कूल्स सोसायटी  
रक्षा मंत्रालय, कमरा नं. 101  
डी-1विंग, सेना भवन, डीएचक्यू पीओ  
नई दिल्ली - 110 011 — आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कमान शिक्षा अधिकारी  
मुख्यालय मध्य वायु कमान,  
भारतीय वायु सेना  
बमरौली, प्रयोगराज - 211 012 — वरिष्ठ प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी, (अध्यक्ष, स्थानीय प्रशासन मण्डल, सैनिक स्कूल रीवा) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव  
स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.) — आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त  
लोक शिक्षण संचालनालय  
गौतम नगर, भोपाल (म.प्र.) — आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. आयुक्त  
रीवा सम्भाग, जिला-रीवा (म.प्र.) — आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. जिलाध्यक्ष  
जिला-रीवा (म.प्र.) — आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला-रीवा (म.प्र.) — आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

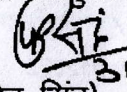
::आदेश::

भोपाल, दिनांक 31.01.2022

क्रमांक एफ 44-4/2020/20-2:: कोविड 19 संक्रमण की तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए विभागीय आदेश दिनांक 14.01.2022 द्वारा कक्षा से 01 से 12वीं तक के समस्त स्कूल एवं छात्रावास दिनांक 31.1.2022 तक पूर्णतः बन्द किये गये थे। राज्य शासन एतद् द्वारा इस आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रसारित करता है:-

1. कक्षा 01 से 12वीं तक के समस्त कक्षाएं विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगे।
2. कक्षा 8वीं 10वीं एवं 12वीं के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए छात्रावास संचालित किये जाए।
3. कक्षा 8वीं 10वीं एवं 12वीं के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए छात्रावास उपलब्ध कराने के उपरांत छात्रावास के 50 प्रतिशत क्षमता के अन्तर्गत शेष बची क्षमता में कक्षा 6वीं 7वीं 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों को भी छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि छात्रावास में 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक विद्यार्थी उपस्थित न हो।
3. विद्यालय/छात्रावासों में कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित किया जाए।
4. ऑनलाइन कक्षाएं पूर्ववत् संचालित की जायेगी।
5. उक्त आदेश दिनांक 01 फरवरी 2022 से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(प्रमोद सिंह)  
उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग  
भोपाल, दिनांक 31.01.2022

पृ0 क्र0 एफ 44-4/2020/20-2  
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
2. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल
3. उप सचिव, मुख्यसचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल

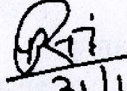
.....निरन्तर...2

(2)

5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनजातीय कार्य/अनुसूचित जाति कल्याण/पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण/श्रम/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
6. आयुक्त, लोक शिक्षण/जनजातीय कार्य, म.प्र. भोपाल
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल
8. आयुक्त, जनसंपर्क, म.प्र. भोपाल
9. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भोपाल
10. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.
11. सचिव, म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल/मदरसा बोर्ड, भोपाल
12. निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, म.प्र. भोपाल
13. संचालक, म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद, म.प्र. भोपाल
14. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
15. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
17. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18. आर्डर बुक

  
31/11/2022

उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

// लेखीराम //

31012022